संख्या-77/2022/722/003-23-9-2022-13नाबार्ड-एसएम-2019टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2022**

विषय - वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के 08 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 08 कार्यो हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-10 के अनुसार कुल रू0 5,07,71,000/- (रूपये पांच करोड़ सात लाख इकहत्तर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :-**(धनराशि रू0 लाख में)**

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत मूल/लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	358/CE-HQ1/RIDF27/LKO/2022-23 Dt- 22-07-2022	उन्नाव	काली-दबौली-मिट्टी शिवराजपुर(अजिमा) से सूसूमऊ सम्पर्क मार्ग के किमी-6 से पटियारा सम्पर्क मार्ग।	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0 05.01.2022	66.14	2.22	0.05	63.87	57.26
2	358/CE-HQ1/RIDF27/LKO/2022-23 Dt- 22-07-2022	उन्नाव	काली-दबौली-मिट्टी-से (अजिमा)शिवराजपुर जमुनिया कच्छ सम्पर्क मार्ग के किमी-9 से कुशलखेड़ा सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0 05.01.2022	67.02	2.25	0.05	64.72	51.67
3	359/CE-HQ1/RIDF27/KNP/2022-23 Dt- 22-07-2022	फतेहगढ़	हिसामपुर के मजराबसावट / डाल नगला सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0 05.01.2022	108.44	3.63	1.27	103.54	**92.82**
4	360/CE-HQ1/RIDF27/GON/2022-23 Dt- 22-07-2022	बलराम पुर	लोहारनडीह सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0	83.65	2.8	0.09	80.76	64.28

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रम सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत मूल/लागत	अब तक आवंटित धनराशि	बचत	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				05.01.2022					
5	360/CE-HQ1/RIDF27/GON/2022-23 Dt- 22-07-2022	गोण्डा	हड़ियागाड़ा सम्पर्क मार्ग के किमी 3 से धौहनापुरवा सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0 05.01.2022	134.3	4.5	0.11	129.69	116.27
6	360/CE-HQ1/RIDF27/GON/2022-23 Dt- 22-07-2022	गोण्डा	गोण्डा उतरौला मार्ग के किमी 19 से ज्योतिया सम्पर्क मार्ग	02/2022/आई0/29265/2022/लोक निर्माण अनुभाग-9, दि0 05.01.2022	98.07	3.29	0.24	94.54	75.92
7	361/CE-HQ1/RIDF26VR/LKO/2022-23 Dt- 22-07-2022	उन्नाव	कालीमिट्टी-फतेहपुर चौरासी-दबौली-शिवरामपुर मार्ग(अ0जि0मा0) के किमी-9 से दायें लवानी जाजमऊ मार्ग से सातिर बंगला सम्पर्क मार्ग।	52/2021/122/23-9-2021-19 नाबार्ड(स0मा0)/2020, दि0 01.03.2021	194.65	139.7	0.2	54.75	32.76
8	362/CE-HQ1/RIDF26VR/GON/2022-23 Dt- 22-07-2022	गोण्डा	बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग(एस0एच0 30) के किमी 55 से दायें निकलने वाले बोसिया चैनपुर मार्ग के आगेरेलवे पुल के पास से जगन्नाथपुरवा, भट्ठा गांव से प्रधानपुरवा सम्पर्क मार्ग	52/2021/122/23-9-2021-19 नाबार्ड(स0मा0)/2020, दि0 01.03.2021	174.01	139.21	0.66	34.14	16.73
				योग					**507.71**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गो को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण्पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्धर कराया जाय।

(3) स्तम्भ-5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,07,71,000 (रुपये पांच करोड़ सात लाख इकहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था(जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-77/2022/722(1)/003-23-9-2022-13नाबार्ड-एसएम-2019टीसी तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।